

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 335 / 2012

दर्ज दिनांक:— 20.07.2012

1. बल्ले पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. पूरन पता—

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

अर्जुनसिंह

प्रार्थी अभिभाषक

सोनीराम

अप्रार्थी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—02.02.2018

यह दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53,88,89,188 आरटीए के अंतर्गत पेश होने पर दर्ज किया गया। पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित पत्रावली का अवलोकन किया। बार-बार हिदायत के बाद भी वादी द्वारा न्यायालय के आदेश दिनांक 10.11.17 की पालना में कॉस्ट राशि 600/- विधिक सहायता कोष में जमा कर रसीद न्यायालय में पेश नहीं की है। इस बाबत वादी को कई अवसर प्रदान किये गए हैं। प्रतीत होता है कि वादी अपने दावा में कोई रूचि नहीं है। ऐसी स्थिति में दावा वादी 0-9-आर-5 सीपीसी के तहत अपालना में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(पुष्कर कुमार मित्तल)

आर.ए.एस.

सहायक कलेक्टर, भरतपुर